(1) पुनर्मूल्यांकन नियमों का अनुमोदन

1. उत्तरपुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन प्राप्त होने पर कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त दो परीक्षकों को (उस मूल परीक्षक को छोड़कर, जिसने मूल रुप से उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन किया हो) मूल्यांकन हेतु भेजी जावेगी।

2. यदि पुनर्मूल्यांकन के परीक्षकों में से किसी एक परीक्षक द्वारा दिए गए अंक और मूल परीक्षक द्वारा दिए गए अंकों में, प्रश्नपत्र के अधिकतम अंक (Maximum Marks) के दस प्रतिशत से अधिक का अन्तर हो, तो इन दो परीक्षकों के अंकों का औसत निकाला जावेगा। इस औसत अंक को ही छात्र के प्राप्तांक माना जावेगा और यही औसत अंक छात्र को प्रदत्त किए जावेंगे।

3. यदि बिन्दु क्रमांक–2 के अनुसार मूल्यांकनकर्ता (परीक्षक) द्वारा प्रदत्त अंकों को देखने से किसी परीक्षक की कार्य प्रणाली संदिग्ध लगे तो प्रकरण कुलपति के संज्ञान में लाया जावेगा तथा कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त चतुर्थ परीक्षक से पुनर्मूल्यांकन कराया जाएगा तथा चतुर्थ परीक्षक का मूल्यांकन अंतिम माना जावेगा।

निर्णयः– अनुमोदित।

(2) मारुति वेन क्रय किए जाने संबंधी।

विश्वविद्यालय की क्रय समिति की बैठक दिनाँक 11.06.2010 में बिन्दु क्रमांक–2 पर विश्वविद्यालय हेतु एक मारुति वेन क्रय करने का निर्णय लिया गया, जिसकी अनुमति पूर्व में वित्त समिति एवं प्रबंध बोर्ड द्वारा दी गई है।

निर्णयः– अनुमोदित।

(3) लोडिंग ऑटो क्रय किए जाने संबंधी।

विश्वविद्यालय की क्रय समिति की बैठक दिनाँक 11.06.2010 में बिन्दु क्रमांक–3 पर विश्वविद्यालय हेतु **Latest Model** लोडिंग ऑटो (**RE 600 Pick up Pack Body**) क्रय करने का निर्णय लिया गया।

निर्णयः– अनुमोदित।

(मंजुलिका श्रीवास्तव)

(शीला चूलधोय)

14/06/10
(डॉ0आभा स्वरुप)

14.6.10
(डॉ0शाहबानो अली)

14/6/10
(डॉ0एम0के0राय)

(प्रो0(डॉ0)एस0के0सिंह)

Scanned with CamScanner